



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082023-248415  
CG-DL-E-29082023-248415

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली मंगलवार, अगस्त 29, 2023/भाद्र 7, 1945

No. 607]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2023/BHADRA 7, 1945

भारतीय मानक ब्यूरो  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2023

**संदर्भ: HQ-PUB-BIS (679).**—भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है:

1) **संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (566)** दिनांक 20 अप्रैल 2023 (प्रकाशित दिनांक 20 अप्रैल 2023), **संदर्भ: HQ-PUB-BIS (602)** दिनांक 22 मई 2023 (प्रकाशित दिनांक 25 मई 2023)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — '6 अगस्त 2023' को '7 फरवरी 2024' से प्रतिस्थापित करें।

2) **का.आ. 3954 (अ)** दिनांक 9 अगस्त 2018 (प्रकाशित दिनांक 10 अगस्त 2018)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — '6 अगस्त 2023' को '7 फरवरी 2024' से प्रतिस्थापित करें।

3) **का.आ. 1966 (अ)** दिनांक 14 मई 2018 (प्रकाशित दिनांक 18 मई 2018)

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (4) में — 'लागू नहीं' को 'आई एस 3028 : 1998 स्वचल वाहन — गतिमान वाहनों से उत्पन्न शोर —मापन पद्धति (दूसरा पुनरीक्षण)' से प्रतिस्थापित करें।

अनुसूची के क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में — 'लागू नहीं' को '7 फरवरी 2024' से प्रतिस्थापित करें।

पी. राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन III/4/असा./392/2023-24]

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Department of Consumer Affairs)

**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd August 2023

**Ref: HQ-PUB-BIS (679).**—Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

- 1) **Extraordinary vide Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (566) dated 20 April 2023** (Published on 20 April 2023), **Ref no. HQ-PUB-BIS (602) dated 22 May 2023** (Published on 25 May 2023)

SI No. 03, column (5) of schedule — Substitute '7 February 2024' for '6 August 2023'.

- 2) S.O. 3954 (E) dated 9 August 2018 (Published on 10 August 2018)

SI No. 03, column (5) of schedule — Substitute '7 February 2024' for '6 August 2023'.

- 3) Extraordinary vide Ref no. S.O. 1966 (E) dated 14 May 2018 (Published on 18 May 2018)

SI No. 3, column (4) of schedule — Substitute 'IS 3028 : 1998 Automotive Vehicles — Noise Emitted by Moving Vehicles — Method of Measurement (Second Revision)' for 'NA'.

SI No. 3, column (5) of schedule — Substitute '7 February 2024' for 'NA'.

P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM)

[ADVT.-III/4/Exty./392/2023-24]